मिजोरम राज्य और अन्य

बनाम

मिजोरम इंजीनियरिंग सेवा संघ और अन्य

6 मई, 2004

(बृजेश कुमार और अरुण कुमार, जे. जे.)

सेवा कानूनः

चौथा वेतनमान आयोग द्वारा इंजीनियरों के लिए उच्च वेतनमान की सिफारिश-एक पदधारी के संबंध में अनुदान और दूसरों के लिए अस्वीकार-शुद्धता - अभिनिर्धारित तथ्यो के अनुसार राज्य सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और एक पदधारी को उच्च वेतनमान प्रदान किया है- समान वेतनमान बिना किसी भेदभाव के अन्य पदधारियों को भी दिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी-राज्य सरकार ने कार्यकारी अभियंताओं और एवं अधीक्षण अभियंताओं को संशोधित वेतनमान के लाभ वापस लेने की अधिसूचना जारी की। प्रत्यर्थी-एसोसिएशन ने उच्च न्यायलय के समक्ष उक्त अधिसूचना को निरस्त करने एवं चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्रमशः मुख्य अभियन्ताओं और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को उच्च

वेतनमान देने बाबत् एक रिट याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा रिट याचिका स्वीकार की, जिसकी राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील में खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई।

न्यायालय में अपील करते हुए राज्य सरकार ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संघ (सोसायटी) के इंजीनियर-उच्च वेतनमान के हकदार नहीं हैं और यह कि वे भर्ती नियमों के अभाव के कारण असंगठित सेवा से संबंधित हैं।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने-

अभिनिर्धारित किया- 1.1 यह कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किसी पदधारी को संशोधित वेतनमान प्रदान करना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ने विधिवत चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया ऐसा करने के बाद पदधारियों के बीच भेदभाव करने की एवं अन्य पदधारियों को समान लाभ नहीं दिए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मिजोरम राज्य और अन्य बनाम मिजोरम इंजीनियरिंग सेवा संघ और अन्य (अरुण कुमार, न्यायमूर्ति)

किसी विशेष व्यक्ति के लिए उच्च वेतनमान को सीमित करना व दूसरों को इससे वंचित करने के कोई विशेष कारण व औचित्य नहीं है।

राज्य सरकार को इसी तर्ज पर समान स्थिति में पदस्थापित व्यक्तियों के साथ वेतनमान पुनरीक्षण के समय पदधारी व्यक्तियों वं भविष्य के पदाधिकारियों के मध्य भेदभाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। (502-बी-एफ)

1.2- भर्ती नियम ना बनाने और इंजीनियरिंग सेवा को संगठित ढांचे के भीतर नहीं लाने में राज्य सरकार की विफलता के लिए इंजीनियरों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सरकारी सेवा का संबंध है, संगठित और असंगठित सेवा में शायद ही कोई अंतर है। सरकारी सेवा में इस तरह के भेद (अन्तर) की कोई प्रासंगिकता प्रतीत नहीं होती है। (503-ए-बी)

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं0 793/1998

गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम के डब्ल्यू.ए. सं. 347/1996 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 28.02.1997 से।

एल. नागेश्वर राव, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री सुमिता हजारिका और सुश्री अर्चना पालकर खोपडे अपीलार्थीगण की ओर से।

हरीश एन. साल्वे, कैलाश वासुदेव, पी.सी. प्रुशी, एस.के. शांडिल्य, प्रतीक कुमार और श्रीमती वी. डी. खन्ना प्रत्यर्थीगण की ओर से।

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से के.एन. मधुसूदनन और आर. सतीश।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गया:-

अरुण कुमार, न्यायाधिपति। यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित 28 फरवरी, 1997 के फैसले के खिलाफ प्रस्तुत की गई है। खंड पीठ ने आलौचित निर्णय के जरिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 17 मई 1996 के निणर्य के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी द्वारा अधिसूचना क्रमांक 12011/3/87 एफ.ईएसटी- दिनांक 3 फरवरी, 1989 को चुनौती देने बाबत एक रिट याचिका को स्वीकार किया था, उस अधिसूचना द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा में पदस्थापित कुछ श्रेणी के अभियंताओं को राज्य सरकार द्वारा वेतनमान पुनरीक्षण के प्रयोजन से वंचित कर दिया था, जो राज सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 12011/3/87, एफ ईएसटी दिनांक 19 जनवरी, 1987 के जरिये स्वीकार किये गये थे।

मिजोरम इंजीनियरिंग सेवा संघ (प्रत्यर्थी) अपने सदस्यों के लिए उच्च वेतनमान की मांग कर रहा है। पृष्ठभूमि यह है कि 1971 से पहले जिसे अब मिजोराम राज्य के रूप में जाना जाता है वह असम राज्य के अन्तर्गत लूशाही हिल नामक जिला था। 1971 से 1986 तक मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश था।

इसे राज्य का दर्जा दिनांक 20 फरवरी, 1987 को मिला। 1974 में जब राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश था, भारत सरकार ने गृह मत्रालय के पत्र क्रमांक 1-3-1973 एम.पी. दिनाकित 04 नवम्बर, 1974 के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर मिजोरम के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों के पैमाने का सुझाव देने के लिए एक विभागीय वेतन समिति का गठन किया।

पत्र क्रमांक 1.3.1973 एम.पी. दिनाकित 04 नवम्बर, 1974 से उक्त विभागीय वेतन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मिजोरम राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पैमाना संशोधित किया जो कि दिनांक 01 नवम्बर, 1973 से लागू हुआ। प्रत्यर्थी संघ के अधीक्षण और कार्यकारी अभियंताओं द्वारा अपने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अपने समकक्षों के समान वेतनमान की मांग पर भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16-10-1983 से मिजोरम प्रशासन, वं लोक निर्माण विभाग के सचिव को यह सूचित किया की सी-पी- डब्ल्यू-डी- में इंजीनियरों द्वारा प्राप्त वेतनमान के अनुरूप (समूह 'ए' पद) इंजीनियर के वेतनमान में संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति ने मंजुरी दी है।

भारत सरकार ने चौथे वेतनमान आयोग के ग्रुप ए, बी, सी, डी व ई पदों के वेतनमान पुनरीक्षण की रिपोर्ट को केन्द्र लोक सेवाओं के लिए दिनांक 01.01.1986 से स्वीकार किया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत चौथे

वेतनमान अनुशंसा मिजोरम लोक सेवा में भी लागू हो गयी। केन्द्र लोक सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1986 दिनांक 01-01-1986 से राज्य के लोक सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू हो गये।

चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप विसंगतियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों की ओर से कुछ अभ्यावेदन दिये गये थे। 1987 में कथित विसंगतियों को देखने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक विसंगती निवारण समिति नियुक्त की गई थी। विसंगती निवारण समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप विसंगतियॉ कम होने की जगह और बढ़ गयी। 7 नवंबर 1988 को एक और विसंगती निवारण समिति का गठन किया गया।

मिजोरम राज्य और अन्य बनाम मिजोरम इंजीनियरिंग सेवा संघ और अन्य (अरुण कुमार, न्यायमूर्ति)

जिसकी रिपोर्ट मिजोरम राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी। इसकी सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए, एक अधिसूचना क्रमांक 12011/3/87, एफ.ई,एसटी. दिनांक 19.01.1989 को जारी की गयी।

इसके तुरन्त पश्चात राज्य सरकार ने दिनांक 03.02.1989 को एक अधिसूचना (विवादित अधिसूचना) जारी की जिसके द्वारा एम.सी.एस/एम.पी.एस अफसरों को शेडयूल ए व शेडयुल बी के पेरा 28 में

वर्णित ग्रुप ए अफसरों के बराबर वेतनमान न देकर उनके वेतनमान उनके संबंधित सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे। इसी अधिसूचना द्वारा अभियंताओं की श्रेणियों में अधीक्षण अभियन्ताओं व कार्यकारी अभियन्ताओं को दिनांक 19.01.1989 में जारी अधिसूचनाआके के लाभों से वंचित रखा गया।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर प्रतिवादी संघ द्वारा अधिसूचना को चुनौती दी गयी। रिट याचिका में पहली प्रार्थना राज्य सरकार की 3 फरवरी, 1989 की अधिसूचना को रद्द करने के संबंध में थी जिसके द्वारा तहत कार्यकारी अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी 1989 के अंतगर्त प्रस्तावित संशोधित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा गया था। दूसरी प्रार्थना मुख्य अभियंताओं और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के संबंध में थी जिसमें निर्देश मांगे गए थे कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन के संशोधित पैमाने के बजाय क्रमशः रू.5900-6700 और रु. 4500-5700 रुपये का वेतन का रूपांतरण पैमाना प्राप्त होना चाहिए। प्रत्यर्थी संघ द्वारा मांगे गए रू. 5900-6700 के वेतनमान मुख्य अभियंता के लिए एवं रू 4500-5700 के वेतनमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार था और क्योंकि सीपीडब्ल्यू विभाग में समकक्षरा पद रखने वाले

पदाधिकारियों को ऐसा ही वेतन दिया जा रहा था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता की दोनों प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलफ हुई अपीलको खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह अपील डिवीजन बेंच के उक्त फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है। सर्वप्रथम हम यह टिप्पणी कर सकते हैं कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आलौच्य फैसले जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 1989 को रद करके कार्यकारी अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को राहत दी गयी है, उसे गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है। अपील में चुनौती मुख्य रूप से मुख्य अभियंताओं और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को दिए गए वेतनमान क्रमश रू 5900-6700 और रु 4500-5700 के खिलाफ दिए गए निर्देश के विरूद्ध है। इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैंः

1. मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता के वेतनमान में संशोधन के उद्देश्यों के लिए आधार वर्ष को 1973 के रूप में लिया जाना चाहिए न कि 1983 के रूप में, भले ही चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संशोधन पर विचार दिनांक 1.1.1986 से प्रभावी किया जा रहा था जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

2. मुख्य अभियंता के संबंध में वेतन विसंगतियाँ समिति की सिफारिश जिसे दिनांकित 19 जनवरी, 1989 अधिसूचना द्वारा स्वीकार किया गया था जिसका प्रभाव यह था कि केवल मौजूदा पदधारी को रू 5900-6700 रुपये का पैमाना मिलेगा और 5900-6700 रू भविष्य में प्रवेश करने वाले पदाधिकारी केवल रुपये रू 4500-5700 के वेतनमान के हकदार होंगे। यह पैमाना मिजोरम राज्य में सभी विभागों के प्रमुखों के लिए होगा जबकि रू 5900-6700 का मान अगले उच्च पद के लिए होगा।

यह विवादित नहीं था कि मुख्य अभियंता के पद के तत्कालीन पदधारी श्री रोबुला को रुपये 5900-6700 का वेतनमान दिया गया था। इसका यह तर्क दिया गया था कि उक्त वेतनमान की उन्हें विशेष रूप से अनुमति दी गई थी क्योंकि वे 1.1.1986 को पद धारण कर रहे थे, यानी जिस तारीख से चौथा केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। सेवा में बाद में प्रवेश करने वालों को वह वेतनमान नहीं दिया जाना था। (लोक निर्माण विभाग के सचिव, पीडब्लुडी की ओर से निदेशक, लेखा और कोषागार, मिजोरम को 13 जनवरी, 1989 का पत्रानुसार)

3. इस तर्क पर जोर दिया गया कि 5900-6700 रुपये का वेतनमान भारत सरकार द्वारा परस्पर संवर्गों में वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए स्वीकार किया गया था। मिजोरम राज्य में इंजीनियरिंग सेवा एक संगठित सेवा नहीं थी। सेवा की भर्ती के लिए कोई नियम नहीं थे, इसलिए कोई वरिष्ठ

स्तर के पद नहीं थे जो भविष्य पदधारियों को 5900-6700 रुपये का ग्रेड प्राप्त करने का अधिकार दें।

जहाँ तक प्रश्न है कि वेतन संशोधन के उद्देश्यों के लिए किस आधार वर्ष को लिया जाना चाहिए 1973 या 1983 इसपर विचार करते हुए हम याद कर सकते हैं कि मिजोरम वर्ष 1973 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। भारत सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मिजोरम राज्य के भीतर इंजीनियरिंग सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वालों के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। यह निर्णय लागू भी किया गया था। मिजोरम राज्य में काम करने वाले इंजीनियरों के लिए वेतनमान को 1973 से संशोधित किया गया था। इसी प्रसन्ग में अगली महत्वपूर्ण घटना

मिजोरम राज्य और अन्य बनाम मिजोरम इंजीनियरिंग सेवा संघ और अन्य (अरुण कुमार, न्यायमूर्ति)

चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें हैं जिसे मिजोरम राज्य द्वारा भी स्वीकार किया गया था। ये सिफारिशें संशोधन के उद्देश्य के लिए 1983 को आधार वर्ष मानती हैं। इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 1987 भी वर्ष 1983 को आधार वर्ष के रूप में लिया है। यह नियम 1 जनवरी, 1986 को लागू हुए थे। उस समय

मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश था। भारत सरकार ने नियमों को स्वीकार कर लिया था। उन्हें मिजोरम में भी लागू किया गया। नियमों के साथ संलग्न अनुसूची वर्तमान वेतनमान और वेतन के संशोधित वेतनमान को संदर्भित करती है। वर्तमान वेतनमान का अर्थ वेतनमान जो उस समय लागू थे। संबंधित श्रेणी के पदों के लिए अनुसूची में दिया गया मौजूदा वेतनमान 2250-125/2-2750 रूपये और संशोधित वेतनमान 5900-200-6700 रूपये। इस पृष्ठभूमि में मिजोरम में वेतन संशोधन के उद्देश्य से 1973 को आधार वर्ष के रूप में लेने का कोई उचित कारण नहीं दिखता है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री एल नागेश्वर राव विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 1 फरवरी, 1989 की अधिसूचना को आधार बनाते हुए कहा कि वर्ष 1973 को वेतन संशोधन के उद्देश्य के लिए आधार वर्ष में मानने का राज्य सरकार का निर्णय था और जिसे स्वीकार करना चाहिए। हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं की ओर से की गई इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें को राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया है। अतिरिक्त कारक जो हमें इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, वह यह है कि राज्य सरकार ने स्वयें 5900-6700 रूपये के वेतनमान को स्वीकार किया और तत्कालीन पदधारी श्री रोबुला को दिनांक 01.01.1986 से इसकी अनुमति दी। राज्य ने श्री रोबुला के वेतनमान में संशोधन को चौथे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमान संशोधन की तारीख

के साथ जोड़ा है। सेवा में अन्य अधिकारियों के मामले में एक अलग दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार की ओर से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर रिट याचिका के जवाबी हलफनामे के पैरा 4 में यह स्वीकार किया जाता है कि मुख्य अभियंता के पद के लिए चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले वेतनमान 2250-2500 रूपये था। यह भी स्वीकार किया कि 2250-2500 रुपये के वेतनमान के लिए चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रूपांतरण वेतनमान रु 5100-5700 और 5900-6700 है। हालाँकि, यह तक दिया गया है कि 5900-6700 रूपये का वेतनमान चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों के अनुसार केवल संगठित चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य केंद्रीय सेवाओं के संबंध में लागू था। राज्य सरकार के इस रुख को देखते हुए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि मुख्य इंजीनियरों को ग्रेड 5900-6700 की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस तर्क पर आते हुए कि रुपये 5900-6700 का वेतनमान केवल तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री रोबुला तक ही सीमित था और भविष्य में प्रवेश करने वालो तक नहीं, सरकार के इस तर्क का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। तथ्य यह है कि चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार श्री रोबुला को संशोधित वेतनमान की अनुमति दी जा रही थी, यह

दर्शाता है कि राज्य सरकार ने चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को विधिवत स्वीकार कर लिया था। ऐसा करने के बाद व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने की और बाकी लोगों को ऐसा लाभ नहीं देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संदर्भ में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह असामान्य नहीं है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति को विशेष वेतन दिया जाता है और वह दूसरों के लिए नजीर नहीं बन सकती है। एक प्रस्ताव के रूप में इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके लिए एक विशेष कारण होना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों में हम उच्च पैमाने को किसी व्यक्ति विशेष के लिए सीमित करने का और दूसरों को मना करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को विशेष वेतन देने के लिए विशेष योग्यता, विशेषज्ञता या इसी तरह के विशेष कारण हो सकते हैं वर्तमान मामले में ऐसा कोई कारण नहीं है। दूसरी ओर कारण यह बताया गया है कि वह 01.01.1989 को उक्त दिनांक से इस पद पर थे, जिस दिन चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी हुई जिस कारण उसे यह वेतनमान प्रदान किया। यह तर्क प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन करता है। चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रु 5900-6700 वेतनमान को मुख्य अभियंता के पद के लिए अनुमति दी गई। राज्य सरकार को इस संबंध में समान दर्जे के व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कि वेतनमान

के संशोधन के समय का पद और पद के भावी पदाधिकारी हों। इस तर्क का कोई महत्व नहीं है।

इस तथ्य पर बहुत जोर दिया गया कि राज्य में इंजीनियरिंग सेवा एक संगठित सेवा नहीं थी और इसलिए इसमें प्रवेश स्तर और वरिष्ठ स्तर के पदों के आधार पर वर्गीकरण नहीं था और इस कारण से रु 5900-6700 जो वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए स्वीकार्य था, इंजीनियरिंग सेवा में नहीं दिया जा सका। इंजीनियरिंग सेवा को राज्य में एक असंगठित सेवा के रूप में वर्णित करने का मुख्य कारण सेवा के लिए भर्ती नियम का अभाव है। भर्ती नियम नहीं बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इंजीनियरिंग सेवाओं के सदस्य इसके लिए जिम्मेदार हैं?

मिजोरम राज्य और अन्य बनाम मिजोरम इंजीनियरिंग सेवा संघ और अन्य (अरुण कुमार, न्यायमूर्ति)

इसका जवाब स्पष्ट रूप से "नही" है। भर्ती नियम बनाने और इंजीनियरिंग सेवा में राज्य सरकार के लिए संगठित सेवा के ढांचे के भीतर लाने की विफलता के लिए इंजीनियर प्रताडित नहीं किये जा सकते हैं। इंजीनियरिंग सेवा के लिए भर्ती नियमों के न होने के कारण के अतिरिक्त हम संगठित और असंगठित सेवा में शायद ही कोई अंतर देखते हैं। जहां तक सरकारी सेवा का संबंध है, सरकारी सेवा में ऐसा कोई अंतर होने या

न होने से की कोई प्रासंगिकता प्रतीत नहीं होती है। सिविल सेवा ट्रेड यूनियनवाद नहीं है। हम इस बात की सराहना करने में विफल रहते हैं कि संगठित सेवा या असंगठित सेवा शब्दों के उपयोग से क्या व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है। यह तर्क पूरी तरह से गलत है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि यदि रु. 5900-6700 का वेतनमान चीफ इंजीनियरों को देने के लिए लिए अनुमति दी जाती है तो राज्य सरकार की सेवा में अन्य विभागों के प्रमुखों को भी इसी वेतनमान की अनुमति देनी होगी जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन पर भारी बोझ होगा और इस कारण से हमें मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद के लिए वेतनमान को क्रमशः 4500-5700 और रु 4100-5300 रुपये तक सीमित करना चाहिए। हमारे विचार में यह उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का शायद ही कोई आधार हो। यह पाया गया है कि उत्तरदाताओं का दावा रिकॉर्ड पर तथ्यों के अनुसार पूरी तरह से उचित है। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी संघ के सदस्यों को दी जा रही दरें उन सिफारिशों पर आधारित हैं।

इस प्रकार हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। विवादित निर्णय हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है। याचिका खारिज कर दी जाती है पक्षकार अपनी-अपनी लागत वहन करें।

बी.एस. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बलजीत सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।